JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड़

खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

दूरभाष 0141–5192101 / 2385791

प्रेस रिलीज **दिनांक : 04.04.2016**

मेट्रो यात्रियो के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा की अवधि बढाई गयी।

यद्यपि जयपुर मेट्रो का संचालन पूरी तरह से सुरक्षित एवं दुर्घटना रहित है, फिर भी मेट्रो प्रशासन द्वारा किसी भी अनहोनी की स्थिति में मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों एवं मेट्रो परिसर में उपस्थित आगन्तुकों के लिए निशुल्क दुर्घटना बीमा योजना मेट्रो संचालन की तिथि 03.06.2015 से लागू है, इसे नई पॉलिसी के तहत अब 13.03.2017 तक बढा दिया गया है। इससे मेट्रो में सफर करना और भी सुरक्षित होगा।

नेशनल एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जयपुर मेट्रो के सभी मेट्रो स्टेशनों एवं परिसरों में यात्री दुर्घटना एवं लोक दायित्व बीमा के साथ ही स्टेशनों पर मेट्रो की उपलब्ध नकद धन राशि का भी बीमा किया गया है।

जहां यह बीमा योजना सभी नौ मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध मेट्रो की नकद धनराशि को किसी भी दुर्घटना, अनहोनी, आतंकवादी कार्यवाही, डकेती, केश बॉक्स में तोड़–फोड़ आदि से सुरक्षा प्रदान करेगी, वहीं मेट्रो परिसर एवं ट्रेनों में उपस्थित यात्रीयों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत अधिकतम 4 लाख रूपये का बीमा भी प्रदान करेगी। मेट्रो स्टेशनों के पेड एरिया एवं इसकी ट्रेनों के अलावा, मेट्रो परिसर में उपस्थित व्यक्ति के साथ किसी दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा भी उपलब्ध होगा। आत्महत्या के प्रकरणों में यह बीमा लागू नही होगा।

यात्री व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं लोक दायित्व बीमा धारकों को किसी भी चोट एवं मृत्यु की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले मुआवजों को तीन भागों में बांटते हुए परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग बीमा राशि का निर्धारण किया गया है। भाग–1 एवं भाग–2 की दुर्घटनाओं के लिए 4 लाख रूपये तक का एवं भाग 3 के अर्न्तगत विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग–अलग बीमा राशि का निर्धारण होगा (पत्र संग्लन है)।

जन संपर्क अधिकरी